Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 165–2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2022 (BHADRA 18, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2022

संख्या 8/29/2022–4CII.– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 87 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 8/5/2021–4CII दिनांक 5 मार्च, 2021, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 8/5/2021–4CII दिनांक 8 अप्रैल, 2021 तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 8/5/2021–4CII दिनांक 15 जुलाई, 2021, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि –

(i) नगर निगम, गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद की भीतरी सीमाओं को छोड़कर, उक्त खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखत के रूप में राज्य में प्रत्येक नगर निगमों की सीमाओं के भीतर अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर शुल्क, हरियाणा राज्य में तत्समय यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त, दो प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा और उक्त शुल्क, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा उक्त दस्तावेजों के पंजीकरण के समय पर संगृहीत किया जाएगा। इस प्रकार संगृहीत ऐसे शुल्क का एक प्रतिशत उस सम्बन्धित नगर निगम को भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसी अचल सम्पत्ति अवस्थित हैं और शेष एक प्रतिशत हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड को भुगतान किया जाएगा;

(ii) उक्त खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखत के रूप में नगर निगम, गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद की सीमाओं के भीतर अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर शुल्क, हरियाणा राज्य में तत्समय यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त, एक प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा और उक्त शुल्क, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा उक्त दस्तावेजों के पंजीकरण के समय पर संगृहीत किया जाएगा और उस सम्बन्धित नगर निगम को भुगतान किया जाएगा।

अरूण गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।